¹[Section 9B: Order of Utilisation of input tax credit

Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (c) of section 9, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.]

Section 9B inserted by Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (33 of 2018) w.e.f. 01-02-2019 by Noti. No. 1/2019-Union Territory Tax, dt. 29-01-2019.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

1धारा 9ख : इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 9 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे किसी कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम और रीति विहित कर सकेगी।]

¹ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) द्वारा धारा 9ख अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।